अत्यावश्यक

–: कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर :–

कमांकः–शिविरा/माध्य/संस्था/बी–1/45001/प्र.अ./डीपीसी 2020–21/2021 दिनांकः 21 जनवरी 2021

–:प्रधानाध्यापक काउसिलिंग संबधी सूचनाः–

विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा प्रधानाध्यापक–मावि एवं समकक्ष पद की डीपीसी वर्ष 2020–21 की रिक्तियों के विरूद्ध कार्मिकों का चयन कर इस कार्यालय के आदेश द्वारा चयन आदेश जारी किया हैं। उक्त चयनित प्रधानाध्यापक–मावि में सेवानिवृत एवं पूर्व से कार्यरत प्रधानाध्यापक–मावि के अतिरिक्त कार्मिकों के पदस्थापन जरिये काउंसलिंग किये जाने हैं।

उक्त चयनित कार्मिकों के पदस्थापन हेतु दिनांकः–25.01.2021 को काउंसलिंग कैम्प (परामर्श शिविर) मुख्य गोल बिल्डिंग शिक्षा निदेशालय परिसर बीकानेर में प्रातः10.30 बजे आयोज्य हैं। रजिस्ट्रेशन का समय प्रातः 9:30 से 10:30 रहेगा। उक्त काउन्सलिंग हेतु चयनित कार्मिकों की वरीयता निर्धारण की जानी हैं। इस हेतु निम्नांकित विशेष वर्ग की जानकारी अपेक्षित हैं ।

(अ) सूची में शामिल द्वितीय श्रेणी अध्यापक पद से चयनित कार्मिकों को अपना संस्थापन विवरण हेतु संलग्न– प्रपत्र–अ (सहमति पत्र) को आवश्यक रूप से भरकर संबंधित आहरण वितरण अधिकारी से प्रमाणित करवाकर काउन्सलिंग दिवस को साथ लेकर आवें।

(ब) सूची में शामिल वे आशार्थी अपना प्रपत्र–ब भर कर भेजेगें जिनके वर्तमान पदस्थापन में कोई स्थान अंकित नहीं है, तथा वे भी प्रपत्र–ब प्रस्तुत करेगें जिनके वर्तमान पदस्थापन स्थान में परिवर्तन हुआ है। जिन आशार्थियों की सूचना सही है तथा नीचे लिखे विशेष वर्ग 1 से 5 एवं 7 में शामिल नहीं है उन्हे प्रपत्र भरकर भिजवाने की आवश्यकता नहीं है। विशेष वर्ग क्र.सं. 6 में उन महिलाओं को ही प्रपत्र भरकर भिजवाने की आवश्यकता हैं जिनका चयन सूची में वर्ग में परिवर्तन हो।

विशेष वर्गः–

1. **70 प्रतिशत से अधिक, दिव्यांग/विकलांग व्यक्ति प्रमाण पत्र सहित।**
2. **असाध्य रोग से पीडित व्यक्ति (कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण एवं ह्रदय शल्य चिकित्सा)।**
3. **विधवा महिला (पति का मृत्यु प्रमाण पत्र)।**
4. **परित्यकता महिला (सक्षम न्यायालय से जारी डिकी की प्रति)।**
5. **एकल महिला अभ्यर्थी(शपथ पत्र)।**
6. **महिला।**
7. **भूतपूर्व सैनिक।**

कार्मिकों की सूची में यदि उपर्युक्त उल्लिखित विशेष वर्ग (उपर्युक्तानुसार) में हैं, तो वे संलग्न प्रारूप में सूचना दिनांकः–23.01.2021 (दोपहर 2 बजे तक) तक ई मेल आई.डी.– absecsecedu@gmail.com पर आवश्यक रूप से भिजवावें। इसके बाद प्राप्त ई–मेल स्वीकार्य नहीं होगें। उपर्युक्त उल्लेखित विशेष वर्ग (1 से 5 एवं 7) के चयनित कार्मिक ही संलग्न प्रारूप में सूचना भिजवायेगें एवं वर्ग से संबंधित प्रमाण पत्र एवं आवश्यक दस्तावेजात भी आवश्यक रूप से प्रारूप के साथ संलग्न करेगें ।

असाध्य रोग में सिर्फ कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण एवं हदय शल्य चिकित्सा से संबंधित कार्मिक ही आवेदन प्रस्तुत करें। विशेष वर्ग से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने पर उसे विशेष वर्ग में शामिल नहीं किया जावेगा ।

संयुक्त निदेशक–कार्मिक
माध्यमिक शिक्षाराजस्थान
बीकानेर

—: कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर :—

प्रपत्र अ

प्रधानाध्यापक—मावि एवं समकक्ष की डीपीसी 2020—21 के
चयनित कार्मिकों के पदस्थापन बाबत काउन्सलिंग हेतु सहमति का प्रारूप

दिनांक :— 25 जनवरी 2021

नाम	
जन्म तिथि	
वर्तमान धारित पद	
जाति वर्ग	
वर्तमान पदस्थापित स्थान (जिला व मंडल भी अंकित करें)	
प्रथम नियुक्ति के समय जिला एवं मंडल से यदि स्थानांतरण वर्तमान जिला एवं मंडल में हुआ है तो स्थानांतरण तिथि आवश्यक अंकित करें।	
डीपीसी चयन सूची के अनुसार वरिष्ठता क्रमांक एवं वर्ष	
काउन्सलिंग हेतु जारी वरीयता सूची के अनुसार क्रम संख्या	
कार्मिक की एम्प्लॉई आई.डी.संख्या	RJ
सीसीए नियमों के तहत कार्यवाही विचाराधीन /प्रस्तावित । उक्त नियमों के अनुसार दण्ड का विवरण यदि हो	हां/नहीं
01.06.2002 एवं इसके पश्चात कुल संतान संख्या	01.06.2002 से पूर्व............ एवं 01.06.2002 के पश्चात.........
द्वितीय श्रेणी अध्यापक पद पर पदस्थापित मण्डल का नाम एवं पदस्थापन तिथि	

सहमति

मैं (नाम)................................. विभाग द्वारा पदस्थापन हेतु निर्धारित रिक्तियों में से (रामावि/राबामावि.................... (क.सं.....) ब्लॉक–................ जिला.............. में प्रधानाध्यापक के रिक्त पद पर पदस्थापन हेतु अपनी सहमति प्रदान करता हूं/करती हूं। उपर्युक्त उल्लिखित वरिष्ठता क्रमांक/वर्ष मुझ से ही संबंधित है। मेरे द्वारा विभाग के पदस्थापन आदेश में प्रदत्त निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण कर लिया जायेगा अन्यथा मैं विभाग को लिखित में पदोन्नति परित्याग की सूचना उचित माध्यम से प्रस्तुत करने की सहमति प्रदान करता/करती हूं। मेरे द्वारा निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण न किये जाने के स्थिति में पदोन्नति परित्याग स्वतः समझा जावे।

दिनांकः—
स्थानः—बीकानेर

(हस्ताक्षर अभ्यर्थी मय नाम)
मोबाईल नम्बर.........................

—: सूचना प्रारूप (प्रपत्र—ब) :—
(प्रधानाध्यापक—मावि डीपीसी वर्ष 2020—21)

01. कार्मिक का नाम मय पदः—

02. कार्मिक का वर्तमान पदस्थापनः—

03. पदोन्नति पद :— प्रधानाध्यापक

04. वरिष्ठता क्रमांक एवं डीपीसी वर्ष :—

05. विशेष वर्ग जिससे संबंधित हैं चिन्हित (√) करेंः—

1. 70 प्रतिशत से अधिक, दिव्यांग / विकलांग व्यक्ति प्रमाण पत्र सहित।
2. असाध्य रोग से पीडित व्यक्ति (कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, नियमित डायलिसिस एवं हृद्य शल्य चिकित्सा)।
3. विधवा महिला (पति का मृत्यु प्रमाण पत्र)।
4. परित्यकता महिला (सक्षम न्यायालय से जारी डिक्री की प्रति)।
5. एकल महिला अभ्यर्थी(शपथ पत्र)।
6. महिला अभ्यर्थी।
7. भूतपूर्व सैनिक।
8. पुरूष अभ्यर्थी।

- प्रमाण पत्र संलग्न करें।

हस्ताक्षर
(नाम मय पदस्थापन)